


प्रधान आयुक्त कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर  
CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, JAIPUR  
(RTI Branch)

लोक सूचना सं:- 01/2021 (आर.टी.आई.)

दिनांक:- 18.01.2021

All concerned are hereby informed that the following amendment/change has been made in the लोक सूचना सं:-04/2020 (आर.टी.आई) दिनांक:- 09.12.2020 in the officer designated as First Appellate Authority (FAA) in accordance with the provisions of Section 19(1) of the Right to Information Act,2005.

S.No.	Office	Amendment made/change
1	Central goods and Service Tax & central Excise Commissionerate, Jaipur	Shri Mahendra Singh, Additional Commissioner (Mobile No.- 8949099761) in place of Ms Shashi Panwar, Joint Commissioner.

  
(आलोक गुप्ता) 18/01/21  
आयुक्त

फा.सं. V(Tech)RTI/JPR/01/2016

दिनांक: 18.01.2021

प्रतिलिपि:-

- (1) मुख्य आयुक्त , सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , जयपुर परिक्षेत्र , जयपुर सूचनार्थ ।
- (2) अधीक्षक (आर टी आई) , सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर को आरटीआई पोर्टल पर सूचना अघतन करने हेतू ।
- (3) अधीक्षक (कंप्यूटर) , सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय , जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने हेतू ।

  
18/01/21  
सहायक आयुक्त (तक.)